

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2019—भाद्र 7, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. एफ. 1-02-2019-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आबंटन) नियम में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (1) शीर्षक “एक—सामान्य प्रशासन विभाग” के अधीन, भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अनुक्रमांक 67 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (2) शीर्षक “चार—वित्त विभाग” के अधीन, भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अनुक्रमांक 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“38. वेतन आयोग प्रकोष्ठ.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. एफ. 1-02-2019-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-02-2019-एक (1), दिनांक 29 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 29th August 2019

F. No. F. 1-02-2019-One (1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

1. under the heading “I-General Administration Department”, in part (A) Matters of policy dealt within the Department, serial number 67 and the entries relating thereto shall be omitted;
2. under the heading “IV-Finance Department”, in part (A) Matters of policy dealt within the Department, after serial number 37 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

“38. Pay Commissions Cell.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DHARNENDRA KUMAR JAIN, Dy. Secy.